भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4081
(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गन्ना आधारित अंतरफसल प्रणाली को बढ़ावा देना

4081. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए अंतर-फसली खेती को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों तथा कृषि योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है;
(ख) गन्ने के साथ उगाई जाने वाली अंतर-फसलों के लिए कौशल विकास, आदानों की उपलब्धता तथा फसलोपरांत प्रबंधन के लिए प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उत्तर प्रदेश में ग्राम-स्तरीय संस्थाओं तथा किसान समूहों को दीर्घकाल में विविधीकृत आय मॉडल को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान गन्ने के साथ दलहनों और तिलहनों की इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करते हैं। इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से किसानों को गन्ने की खेती के साथ लगभग 12 क्विंटल सरसों प्रति हेक्टेयर और 10 क्विंटल उड़द प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है। किसान गन्ने के साथ-साथ आलू, प्याज, मक्का, लहसुन, लोबिया और गोभी जैसी फसलों की खेती के माध्यम से पूरक आय अर्जित करते हैं, जिससे उनकी समग्र आय और आजीविका सुरक्षा में सुधार होता है।

(ख) और (ग) सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया है, जो गन्ने की पौध तैयार करते हैं और उन्हें किसानों को वितरित करते हैं, जिससे स्व-सहायता समूह के सदस्यों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन होता है और इन महिला स्व-सहायता समूहों को कटर और प्रो-ट्रे जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इन स्व-सहायता समूहों को संस्थागत और आजीविका सहायता के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जोड़ा गया है। इसके अलावा, उनके कौशल विकास के लिए, किसानों को गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और गन्ने की बुवाई की ट्रेंच विधि जैसे उन्नत खेती के तरीकों को अपनाया गया है, जिससे किसानों को लाभ होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

उत्तर प्रदेश में आय के विविध अवसरों को बढ़ावा देने और ग्राम स्तर के संस्थानों और किसान समूहों को मजबूत करने के लिए, सरकार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता में सहायता करती है। इस पहल के तहत, 18-50 वर्ष की आयु के ग्रामीण बेरोजगारों को 70 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), सामान्य ईडीपी, प्रक्रिया ईडीपी और उत्पाद ईडीपी के साथ-साथ ईडीपी इनपुट शामिल हैं।
